27.2.24 राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 उपस्थित।

प्रस्तुत प्रकरण आरोपी की उपस्थिति/तामील कुनिन्दा साक्ष्य हेतु नियत है।

तामील कुनिन्दा साक्षी सहायक उपनिरीक्षक जंडेलसिंह थाना गोवर्धन से उपस्थित, उनके कुनिन्दा साक्ष्य लेखबद्ध की गयी। प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत होता आ रहा है। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु गिरफतारी वारंट भेजे गये है, परन्तु भेजे गये गिरफतारी वारंट अदम तामील प्राप्त हो रहे हैं। प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्र0सी01 लगायत प्रदर्श सी–4 के अवलोकन से भी ऐसा प्रकट हो रहा है कि अभियुक्त को उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के बारे में ज्ञान होने पर लापता रह रहे हैं। उपरोक्त अवलोकन से न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि आरोपी फरार हो गये हैं अथवा स्वयं को छिपा रहे हैं एवं निकट भविष्य में उनके मिलने की संभावना नहीं है। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर है। परिणामतः अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण के निराकरण में विलम्ब कारित हो रहा है।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए **आरोपी भोला गुर्जर पुत्र शिवचरण गुर्जर उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम चपरोली पोस्ट जलालपुर थाना मनियन जिला धोलपुर राजस्थान** को धारा 299 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत फरार घोषित किया जाता है। अभियोजन द्वारा धारा 82, 83 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही प्रसारित नहीं की गयी है। प्रकरण में साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है। अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर से न्यायालय में अनुपस्थित हो गये है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे।

अभिलेख के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप लगाई जावे कि **''आरोपी फरार हैं, अतः प्रकरण को सुरक्षित रखा जावे प्रकरण को नष्ट न किया जावे।''**

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अविलम्ब अभिलेखागार भेजा जावे।

(अविनाश छारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पोहरी जिला शिवपुरी म0प्र0